


7/25

पत्रावली पेश । प्रार्थी व वकील प्रार्थी  
के बार-बार आवाज लगाई गई ।  
बार-बार आवाज लगाने के पश्चात भी  
प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में हाजिर  
नहीं हुए । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 RTI अन्तर्गत हाजिरी  
अन्तर्गत पेशी में खारिज किया जाता है  
पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर  
से कम होकर दाखिल दफ्तर है ।



उपखण्ड अधिकारी दानारामगढ़ जिला सीकर